भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3451
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के शिकार पीड़ित पुरुष

3451. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का घरेलू हिंसा जैसे अपराधों के शिकार पीड़ित पुरुषों को पर्याप्त कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए लिंग-निरपेक्ष कानून लाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न और हमले के शिकार पीड़ित पुरुषों के लिए कानूनी प्रावधानों की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विशेषकर घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के शिकार पीड़ित पुरुष के लिए आश्रय और सहायता सेवाएं सृजित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करती है कि मौजूदा कानून झूठे आरोपों अथवा लिंग आधारित हिंसा के शिकार पीड़ित पुरुषों के लिए हानिकर नहीं हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार के पास मौजूदा घरेलू हिंसा कानूनों के अंतर्गत शिकार पीड़ित पुरुषों के लिए कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इन परिवर्तनों को कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): भारत सहित विश्व भर में महिलाओं को पितृसत्तात्मक मानसिकता और सामाजिक मानदंडों के कारण लंबे समय से असंगत और निरंतर भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है साथ ही महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को अधिकार भी दिए गए है। इस प्रावधान के कारण सरकार द्वारा कई सकारात्मक कार्रवाइयां की गई हैं जिनमें कई लैगिंक-विशिष्ट और महिला-केंद्रित कानूनों का अधिनियमन शामिल है। इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समग्र सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और उन्हें हिंसा और भेदभाव से बचाना है। ये लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर सुरक्षा और समान अवसरों के प्रावधान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करते हैं।

यद्यपि ये कानून मुख्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैं, फिर भी, किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हमले या हिंसा का सामना करने वाले पुरुष भी अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर मौजूदा आपराधिक कानूनों और संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत निवारण की मांग कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित कानूनी प्रावधान झूठे आरोपों के मामलों में न्याय सुनिश्चित करते हैं:

i. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 246 के अनुसार 'जो कोई, कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करता है, जिसका मिथ्या होना वह जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा।

ii. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 248 के अनुसार 'चोट पहुंचाने के मंतव्य से अपराध का झूठा आरोप लगाने' के संबंध में है, जो कोई, किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है, क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित करता है या करवाता है या उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाता है तो इसके लिए दंड का प्रावधान है।

****